

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

11/8/2021
25/11/2021

कैम्प कोर्ट का स्थान :-

कोरवाद ताल

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. बधु केवा पत्नी | } जयदेवसिंह जाति राजशूत निवासी
कोरवाद ताल तहसील चूरु |
| 2. सुमन केवा | |
| 3. नीतू केवा पुत्रिका | |
| 4. सुरजान केवा | |

बनाम



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. राजशान सेका जसिमे तहसील चूरु | } जयदेवसिंह जाति राजशूत निवासी कोरवाद ताल
तहसील चूरु |
| 2. रणवीरसिंह कुन | |
| 3. विमला केवा पुत्री | |

दावा बाबत घोषणार्थ / बंटवारा / स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 55, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

महोदय,

निवेदन है कि काडीगाण की पट्टक संयुक्त खाते दादी की कृषि
भूमि निम्नानुसार अवस्थित है :-

क्र.सं.	ग्राम	विवादित ख.न.	रकबा
1.	कोरवाद ताल	682/228	0.5944
		689/383	2.7569

उपरोक्त कृषि भूमि में दादी सं० 1 का प्रसवा केवा, दादी सं० 2 का माफा
केवा, दादी सं० 3 का नीतू केवा व दादी सं० 4 का नाम सुरजान केवा रहलत
दादी चला आ रहा है जबकि काडीगाण के सही नाम क्रमशः बधु केवा, सुमन केवा
सुरजान केवा व सुरजान केवा है उक्त मामलों के काडीगाण के  
राजस्व रिकार्ड एवं इस्तोकेजों में नाम त्रिन त्रिन होने के कारण काडीगाण की
सहायरी योजनाओं का लाभ लेने में बाधा पड़ना ही होनी है।